

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-02-10/2026(स्वा०) / पटना, दिनांक:-.....

डॉ० अभिषेक कुन्दन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवसागर, रोहतास के विरुद्ध सिविल सर्जन, रोहतास के पत्रांक-1975 दिनांक-13.06.2026 द्वारा संस्थान में निरीक्षण के दौरान दिनांक-12.06.2026 को नशे के हालत में रहने एवं आबकारी विभाग के छापेमारी में सरकारी आवास से शराब की बोतले पाये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। सहायक आयुक्त, मद्य निषेध, रोहतास, सासाराम के पत्रांक-1471 दिनांक-13.06.2026 द्वारा प्रतिवेदित है कि छापेमारी के दौरान डॉ० कुन्दन नशे की हालत में थे। ब्रेथ एनालाईजर जॉच में अल्कोहल की मात्रा-BAC-361ml/100ml पाया गया है। सरकारी आवास से 4 खाली शराब की बोतल एवं 3 शराब की भरी बोतल जब्त किया गया। डॉ० कुन्दन के विरुद्ध शराब सेवन करने एवं अवैध रूप से शराब का भण्डारण करने के आरोप में उत्पाद थाना काण्ड सं०-309/2026 दिनांक-12.06.2026 मद्य निषेध अधिनियम, 2018 की धारा-30(a) के अधीन प्राथमिकी दर्ज किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा डॉ० कुन्दन को दिनांक-13.06.2026 को न्यायिक हिरासत में काराधीन किया गया है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9(2)(क) के अधीन काराधीन होने के फलस्वरूप गिरफ्तार होने की तिथि से डा० कुन्दन को निलंबित किया जाता है।
3. डा० कुन्दन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
4. डा० कुन्दन द्वारा कारामुक्ति के उपरांत मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
5. डा० कुन्दन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अलग से सकल्प निर्गत की जायेगी।
6. उपरोक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-02-10/2026(स्वा०) 822(9) / पटना, दिनांक:-30.07.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

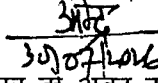
प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डॉ० अभिषेक कुन्दन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवसागर, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


30/07/2026
सरकार के अवर सचिव।